2009:सीजीएचसी:10504-डीबी

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: **माननीय न्यायमूर्तिगण श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं**

माननीय न्यायमूर्तिगण श्री आर.एन. चंद्राकर,

दाण्डिक अपील संख्या 344/2003

सहदेव उर्फ़ छोटू यादव

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

(और अन्य संबंधित दाण्डिक अपील क्र. 375/2003 और दाण्डिक अपील क्र. 449/2004)

निर्णय

(विचारार्थ)

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

23/08/2009

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एन. चंद्राकर

मै सहमत हूँ |

सही/-

आर.एन. चंद्राकर, न्यायाधीश

23/08/2009

(दिनांक 25/08/2009 को निर्णय हेतु सूचीबद्ध करें)

सही/-

न्यायाधीश

24/08/2009

2009:सीजीएचसी:10504-डीबी

छत्तीसगढ़उच्च न्यायालय,बिलासपुर

कोरम: **माननीय न्यायमूर्तिगण श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं**
माननीय न्यायमूर्तिगण श्री आर.एन. चंद्राकर,

दाण्डिक अपील संख्या 344/2003

अपीलकर्ता सहदेव उर्फ़ छोटू यादव, पिता रामगती यादव, उम्र लगभग 19 वर्ष, निवासी बिरगहनी चौक, बिरगहनी , थाना- जांजगीर, जिला - जांजगीर -चांपा (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा जिला दण्डाधिकारी,
जिला- जांजगीर -चांपा (छ.ग.)

दाण्डिक अपील संख्या 375/2003

अपीलकर्तागण

1. शिव राम आयु लगभग 29 वर्ष, पिता बहोरन, निवासी ग्राम बिरगहनी, थाना जांजगीर, तहसील जांजगीर, जिला - जांजगीर-चांपा।
2. धर्मेंद्र उर्फ़ गुड्डा पिता वीरेंद्र सिंह, आयु लगभग 20 वर्ष, निवासी ग्राम बिरगहनी चौक, बिरगहनी, थाना जांजगीर, जिला- जांजगीर-चांपा (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा जिला दण्डाधिकारी,
जिला- जांजगीर -चांपा (छ.ग.)

और

दाण्डिक अपील संख्या 449/2004

अपीलकर्ता सुरेश कुमार पिता इतवारी , उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी ग्राम पिपरदा, थाना अकलतरा, जिला जांजगीर -चांपा |

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा जिला दण्डाधिकारी,
जिला- जांजगीर -चांपा (छ.ग.)

(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अंतर्गत अपील)

उपस्थिति:

अपीलकर्तागण की ओर से

(दाण्डिक अपील क्र. 344/2003 &
दाण्डिक अपील क्र. 449/2004) में : श्री अवध त्रिपाठी, अधिवक्ता |

अपीलकर्ता संख्या 2
(धर्मेंद्र उर्फ गुड्डा) की ओर से : श्री योगेश्वर शर्मा, अधिवक्ता |

अपीलकर्ता संख्या 1
(शिव राम) की ओर से
(दाण्डिक अपील क्र. 375/2003 में) : श्री सुशोभित सिंह, अधिवक्ता |

राज्य की ओर से
(सभी दाण्डिक अपीलों में) : श्री आशीष शुक्ला,
शासकीय अधिवक्ता |

निर्णय

(25.08.2009)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा, द्वारा पारित किया गया :-

(1) ये अपीलें चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) जांजगीर (छ.ग.) द्वारा दिनांक 31.01.2003 को सत्र विचारण संख्या 160/2002 में पारित दोषसिद्धि एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसके द्वारा, अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 201 के अधीन दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास की दण्डादेश एवं 100/- रुपये जुर्माना, जुर्माना न भरने की दशा में 1 माह के सश्रम कारावास तथा 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये जुर्माना, जुर्माना न भरने की दशा में 6 माह के सश्रम कारावास से दंडित किया गया था, तथा साथ ही यह निर्देश दिया गया था कि सभी सजाएं समवर्ती रूप से चलेंगी।

(2) संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:—

दिनांक 01.03.2002 को प्रातः लगभग 7.00 बजे, सरजू प्रसाद राठौर (अ.सा.-1) ने बिरगहनी चौक के पास मुंडीनाला में दो लाशें पड़ी देखीं। उन्होंने संबंधित पुलिस थाने में मर्ग सूचनाएं (प्रदर्श- पी/1 और पी/2) दर्ज कराई। विवेचना अधिकारी उस स्थान पर पहुंचे, पंचों को नोटिस (प्रदर्श - पी/40 और पी/41) दिए और मृतकों के शवों का मृत्युसमीक्षा प्रतिवेदन (प्रदर्श-पी/42 और पी/43) तैयार किया जिनकी पहचान सदर बाजार, चांपा के निवासी अमरदास उर्फ़ अम्मू और अनिल कुमार के शव के रूप में की गई। स्थल नक्शा (प्रदर्श-पी/44अ) के द्वारा तैयार

किया गया और एक अन्य स्थल नक्शा हल्का पटवारी द्वारा (प्रदर्श-पी/15) के रूप में तैयार किया गया। मुंडीनाला से खून से सने मिट्टी, साधारण मिट्टी और चप्पलों के दो जोड़े (प्रदर्श-पी/37) के द्वारा जब्त किए गए। मर्ग के अन्वेषण के दौरान, विवेचना अधिकारी को ज्ञात हुआ कि मृतकों को आरोपी/अपीलार्थियों द्वारा लाठी, लोहे के हथौड़े और पावा (चारपाई का पाया) से दिनांक 28.02.2002 और दिनांक 01.03.2002 की दरम्यानी रात में अपीलार्थी सुरेश कुमार पटेल के बिरगहनी चौक स्थित होटल में हमला किया गया था और उनके मृत शवों को नाले में फेंक दिया गया था। इस जानकारी पर, उन्होंने दोपहर 2.00 बजे देहाती नालिशी (प्रदर्श-पी/46) दर्ज की, जिसके आधार पर, प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श-पी/47) दर्ज की गई। घटनास्थल (अपीलार्थी सुरेश कुमार पटेल के होटल) से खून से सने मिट्टी और साधारण मिट्टी प्रदर्श-पी/36 के द्वारा जब्त की गई।

मृतकों के शवों को, शवपरीक्षण हेतु (प्रदर्श-पी/16 और प्रदर्श-पी/27) के द्वारा जिला अस्पताल, जांजगीर भेजा गया, जहां डॉ. आर.एस. प्रभाकर (अ.सा.-4) और डॉ. आर.डी. गुप्ता (अ.सा.-6) द्वारा शवपरीक्षण किया गया, जिन्होंने उनकी प्रतिवेदन (प्रदर्श-पी/17 और प्रदर्श-पी/28) तैयार की। उन्होंने मृतकों के शरीर के मार्मिक अंगों, जिनमें खोपड़ी भी शामिल है, पर एकाधिक गंभीर चोटें देखीं और राय दी कि मृतकों की मृत्यु सिर में चोट लगने के कारण कोमा और हेमाटोमा से हुई और मृतकों की मृत्यु मानववध प्रकृति की थी।

आगे के अन्वेषण में, आरोपी/अपीलार्थियों को हिरासत में लेने के बाद, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के द्वारा उनके मेंमोरेंडम बयान (प्रदर्श-पी/3, पी/4, पी/9 और पी/33) दर्ज किए गए और आरोपी के बताये अनुसार चारपाई के पावा (3 नंबर) और लोहे का हथौड़ा (प्रदर्श-पी/5, पी/6, पी/11 और पी/34) के द्वारा जब्त किया गया। अभियुक्तगण के कपड़े भी जब्त किए गए। जब्त वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए धिविज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया, जहां से प्रतिवेदन (प्रदर्श-पी/59) प्राप्त हुई। एफ.एस.एल. प्रतिवेदन के अनुसार, आरोपी/अपीलार्थीगण सहदेव और सुरेश से जब्त किए गए पावा और हथौड़े पर खून के धब्बे पाए गए।

सामान्य अन्वेषण पूरा होने के बाद, अभियोग-पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जांजगीर के न्यायालय में दाखिल किया गया, जिन्होंने बदले में मामले को संबंधित सत्र न्यायालय को प्रेषित किया, जहां से यह चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), जांजगीर (छ.ग.) को स्थानांतरण पर प्राप्त हुआ, जिन्होंने मुकदमे का विचारण किया और आरोपी/अपीलार्थीगण को पूर्वोक्त रूप में दोषसिद्ध एवं दंडित किया।

(3) अभियोजन का मामला साक्ष्य के दो सेटों पर आधारित था। एक था एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी ईश्वरी यादव (अ.सा.-9) का प्रत्यक्षदर्शी विवरण जिसने लक्ष्मीनारायण (अ.सा.-5) को भी कहानी सुनाई। दूसरा था अपीलार्थी सुरेश कुमार द्वारा राजेश कुमार तिवारी (अ.सा.-7), गुलाब (अ.सा.-10), गणेश प्रसाद साहू (अ.सा.-11) और धर्मेंद्र (अ.सा.-15) के समक्ष किया गया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायिकेत्तर संस्वीकृति जिसमें उसने कथित तौर पर स्वीकार किया कि उसने अन्य अपीलार्थीगण शिव राम, धर्मेंद्र उर्फ़ गुड्डा और सहदेव उर्फ़ छोटू यादव के साथ मिलकर मृतकों की हत्या की थी।

(4) एकमात्र चश्मदीद गवाह ईश्वरी यादव (अ.सा.-9) पक्षद्रोही हो गयी और मामले का समर्थन नहीं किया। यहाँ तक कि लक्ष्मीनारायण (अ.सा.-5) भी पक्षद्रोही हो गया है और इस बात से इनकार किया कि ईश्वरी यादव (अ.सा.-9) ने उसे घटना के बारे में बताया था।

(5) विद्वान् सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी सुरेश कुमार पटेल द्वारा उपरोक्त साक्षियों के समक्ष दी गई न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के आधार पर, उनके द्वारा बताये जाने पर किये गए प्रकटीकरण और जब्ती के अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर, अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध किया।

(6) अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताओं ने मृतकों की मानववध प्रकृति की मृत्यु पर विवाद नहीं किया है। इसके अलावा, मृत्युसमीक्षा प्रतिवेदन (प्रदर्श-पी/42 और पी/43) के साक्षियों के साक्ष्य में आता है कि मृतकों के शव नाले में पाए गए थे। मृतकों को कई चोटें आई थीं। दोनों शवपरीक्षण सर्जन डॉ. आर.एस. प्रभाकर (अ.सा.-4) और डॉ. आर.डी. गुप्ता (अ.सा.-6) ने भी मृतकों के शरीर के मार्मिक अंगों, जिनमें खोपड़ी भी शामिल है, पर एकाधिक गंभीर चोटें देखीं और राय दी कि उनकी मृत्यु मानववध प्रकृति की थी। इसलिए, यह स्थापित हो गया कि मृतकों की मृत्यु मानववध प्रकृति की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता ने तर्क दिया कि एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी ईश्वरी यादव (अ.सा.-9) पक्षद्रोही हो गयी है क्योंकि उसने विचारण में अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। यहां तक कि वह साक्षी जिसे उसने कथित तौर पर कहानी सुनाई थी लक्ष्मीनारायण (अ.सा.-5) भी पक्षद्रोही हो गया है और उसने इस बात से इनकार किया है कि घटना उसे बताई गई थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी सुरेश कुमार द्वारा उपरोक्त साक्षियों के समक्ष दी गई न्यायिकेत्तर संस्वीकृति का साक्ष्य कमज़ोर और अविश्वसनीय है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अन्यथा भी, सह-आरोपी सुरेश कुमार द्वारा दी गई तथाकथित न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के आधार पर अन्य अपीलार्थीगण की दोषसिद्ध को कायम नहीं रखा जा सकता है क्योंकि यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के अर्थ में सारभूत साक्ष्य नहीं थी।

(8) दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री आशीष शुक्ला ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश का समर्थन किया।

(9) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(10) **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम एम.के. एंथनी [(1985) 1 एस.सी.सी. 505]** में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया " न तो कोई विधि का नियम है और न ही विवेक का कि न्यायिकेत्तर संस्वीकृति द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे किसी अन्य विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा पुष्ट न किया गया हो। न्यायालयों ने न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के साक्ष्य को साक्ष्य का एक कमजोर टुकड़ा माना है। यदि न्यायिकेत्तर संस्वीकृति का साक्ष्य उस साक्षी/साक्षियों के मुंह से आता है जो निष्पक्ष प्रतीत होते हैं, आरोपी से परोक्ष रूप से भी शत्रुतापूर्ण नहीं हैं, और जिनके संबंध में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आता है जो यह संकेत दे सके कि उसे आरोपी पर झूठा बयान आरोपित करने का कोई उद्देश्य हो सकता है,- साक्षी द्वारा बोले गए शब्द स्पष्ट, असंदिग्ध और सुनिश्चित रूप से यह बताते हैं कि आरोपी अपराध का मुख्यकर्ता है और साक्षी द्वारा ऐसा कुछ भी चूक नहीं किया गया है जो इसके विरुद्ध जा सकता हो, तो साक्षी के साक्ष्य को विश्वसनीयता की कसौटी पर एक कठोर परीक्षण के अधीन करने के बाद यदि यह परीक्षण पास करता है, तो न्यायिकेत्तर संस्वीकृति को स्वीकार किया जा सकता है और यह दोषसिद्धि का आधार बन सकती है, ऐसी स्थिति में पुष्टि की खोज में जाना ही साक्ष्य पर संदेह की छाया डालने की प्रवृत्ति रखता है। यदि न्यायिकेत्तर संस्वीकृति का साक्ष्य विश्वसनीय, भरोसेमंद और संदेह से परे है तो उसी पर भरोसा किया जा सकता है और उस पर दोषसिद्धि स्थापित की जा सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) **<u>नारायण सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य,[(1985) 4 एस.सी.सी. 26]</u>** में , उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी भी न्यायालय के लिए इस पूर्वधारणा के साथ शुरुआत करना संभव नहीं है कि न्यायिकेत्तर संस्वीकृति एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है और यह उन साक्षियों की सत्यनिष्ठा पर निर्भर करता है जिनके समय यह दी गई है और साक्षियों की विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य की स्वीकार्यता पर निर्णय लेना न्यायालय का काम है।

(12) इसके अतिरिक्त **<u>बलदेव राज बनाम हरियाणा राज्य, [1991 सप्ली. (1) एस.सी.सी. 14]</u>** में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि "न्यायिकेत्तर संस्वीकृति, यदि स्वैच्छिक है, तो अभियुक्त को दोषसिद्धि में अन्य साक्ष्यों के साथ न्यायालय द्वारा उस पर भरोसा किया जा सकता है। संस्वीकृति के संबंध में साक्ष्य का मूल्य उन गवाहों की सत्यता पर निर्भर करता है जिनके समक्ष यह किया जाता है। यह सच है कि न्यायालय गवाह से अपेक्षा करता है कि वह यथासंभव अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त वास्तविक शब्द बताए, लेकिन यह कोई अपरिवर्तनीय नियम नहीं है कि न्यायालय को साक्ष्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए, यदि वास्तविक शब्द नहीं, बल्कि उसका सार दिया गया हो। साक्ष्य को स्वीकार करना या न करना न्यायालय पर निर्भर है कि वह गवाह की विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य को स्वीकार करे या नहीं। जब न्यायालय उस गवाह पर विश्वास करता है जिसके समक्ष संस्वीकृति की गई है और यह संतुष्ट है कि संस्वीकृति स्वैच्छिक थी, तो ऐसे साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि स्थापित की जा सकती है। इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में पाया कि संस्वीकृति को अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा

उचित रूप से स्वीकार किया गया है और उस पर कार्रवाई की गई है ज़िम्मेदार व्यक्ति होने के नाते अभियोगी 4 और अभियोगी 5 की गवाही पर संदेह नहीं किया जा सकता था क्योंकि उनके पास अपीलकर्ता को झूठा फंसाने के लिए प्रेरित करने वाले किसी भी सबूत का अभाव था। पूरे ऑपरेशन से लेकर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज होने तक, ईशर दास के साथ अपीलकर्ता और उसके पिता की मौजूदगी ही अभियोजन पक्ष के मामले के प्रति किसी भी संदेह को दूर करती है और मामले की सत्यता की ओर स्पष्ट रूप से इशारा करती है। माननीय न्यायाधीशों ने कहा कि इसलिए, वे उस संस्वीकृति में कोई कमी नहीं पा सके जिसे अधीनस्थ न्यायालयों ने स्वीकार किया है और जिस पर भरोसा किया है।

(13) **कविता बनाम तमिलनाडु राज्य, [(1998) 6 एस.सी.सी. 108]** में ,
उच्चतम न्यायालय ने फिर से उन्हीं सिद्धांतों को दोहराया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के आधार पर दोषसिद्धि हो सकती है, लेकिन यह सर्वविदित है कि मूलतः यह एक कमज़ोर साक्ष्य है और इसलिए इसे किसी भी अन्य तथ्य की तरह ही सिद्ध किया जाना चाहिए और इसका मूल्य उस गवाह की सत्यता पर निर्भर करता है जिसके समक्ष यह प्रस्तुत किया गया है। यह आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त वास्तविक शब्द ही गवाह द्वारा कहे जाएँ, लेकिन गवाहों की विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य की स्वीकार्यता पर निर्णय न्यायालय को ही लेना है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(14) इसके अलावा **पंजाब राज्य बनाम गुरदीप सिंह, [1999 एस.सी.सी. (क्रिमिनल) 1368]** में, उच्चतम न्यायालय ने फिर से इस बात पर जोर दिया कि न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के साक्ष्य के मामले में, साक्ष्य का साक्ष्यात्मक मूल्य उन साक्षियों की सत्यनिष्ठा पर निर्भर करता है जिनके समक्ष यह दी गई है और इसे सारभूत साक्ष्य माना जा सकता है यदि कोई आश्वस्त सामग्री या परिस्थिति पाई जाती है और पुलिस से पूरी तरह असंबंधित व्यक्ति के समक्ष न्यायिकेत्तर संस्वीकृति अभिलिखित करने में देरी हमेशा बड़े संदेह का विषय होती है।

(15) **गगन कनौजिया एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य, [2007 (2) क्राइम 81 (SC)]** में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायिकेत्तर संस्वीकृति दोषसिद्धि का आधार बन सकती है और अत्यधिक सावधानी के तौर पर, न्यायालय कुछ पुष्टि की तलाश कर सकता है।

(16) अतः उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर यह स्पष्ट है कि कोई भी विधि का नियम है कि न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के साक्ष्य पर अकेले भरोसा नहीं किया जा सकता है और इस तरह की संस्वीकृति पर दोषसिद्धि प्रमाणित करने के लिए, कुछ अन्य साक्ष्य द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए। इसके विपरीत, यदि न्यायिकेत्तर संस्वीकृति का साक्ष्य विश्वसनीय, भरोसेमंद है और संदेह की छाया से परे है, तो इसे अभियुक्त की दोषसिद्धि प्रमाणित करने के लिए एकमात्र आधार बनाया जा सकता है और न्यायालय अत्यधिक सावधानी के साथ कुछ पुष्टि की तलाश कर सकती है। यह सब एक अभियुक्त द्वारा खुद के लिए किए गए न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के बारे में है जो उसके खिलाफ

एक सारभूत सबूत होगा। न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के संबंध में विधि, जिसमें निर्माता अन्य अभियुक्तों को भी शामिल करता है और सह-अभियुक्तों के रूप में उस साक्ष्य का साक्ष्य मूल्य अलग-अलग आधार पर है, जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे।

(17) अब हम अपीलकर्ता सुरेश कुमार द्वारा उपरोक्त 4 गवाहों के समक्ष दिए गए कथित न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की परीक्षण करेंगे।

(18) राजेश कुमार तिवारी (अ.सा.-7) ने गवाही दी कि " दिनांक 01.03.2002 को सुबह लगभग 9.00 बजे, गुलाब भवनानी (अ.सा.-10) और गणेश प्रसाद साहू (अ.सा.-11) उनके स्थान पर आए और बताया कि मृतक अम्मू उदासी और अनिल साहू के शव मुंडीनाला में पड़े हैं। वे मुंडीनाला गए और शव देखे। उन्होंने नाले में शव पाये जाने की सूचना टेलीफोनिक रूप से पुलिस को सूचित किया। उन्हें पता चला कि रात में, मृतक एवं अभियुक्तगण शराब पीने गए थे और कुछ झगड़ा हुआ और फिर उनकी हत्या कर दी गई। अपीलार्थी सुरेश कुमार का बिरगहनी चौक पर एक होटल है। वे उसके होटल गए और देखा कि होटल का फर्श साफ किया गया था। उन्होंने अपीलार्थी सुरेश को बुलाया और इस सब के बारे में पूछा। पहले तो सुरेश ने उनसे बचने की कोशिश की लेकिन बाद में, उसने बताया कि मृतक अमरदास उर्फ़ अम्मू और अनिल साहू रात में उसके होटल आए, उन्होंने शराब पीने के लिए ग्लास और पानी मांगा, शराब पीने के बाद धर्मेंद्र, शिव राम, छोटू और मृतकों के बीच कुछ झगड़ा हुआ और उसके बाद अभियुक्तों द्वारा चारपाई के पावा और लोहे के हथौड़े से उनकी पिटाई की गई और मौत के बाद, उनके मृत शवों को मुंडीनाला में फेंक दिया गया"।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(19) गुलाब (अ.सा.-10) ने यह भी गवाही दी कि दिनांक 01.03.2002 को वह धर्मेंद्र उदासी (अ.सा.-15), राजेश कुमार तिवारी (अ.सा.-7) और गणेश प्रसाद साहू (अ.सा.-11) के साथ उपस्थित था। अपीलकर्ता सुरेश ने उनके समक्ष न्यायिकेत्तर संस्वीकृति दी, जैसा कि राजेश कुमार तिवारी (अ.सा.-7) ने गवाही में कहा था।

(20) गणेश प्रसाद साहू (अ.सा.—11) मृतक अनिल साहू के बड़े भाई हैं। उन्होंने गवाही दी कि “उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को लगभग 8 बजे अनिल साहू यह कहकर घर से निकले कि वह किसी शादी में जा रहे हैं। वह रात में वापस नहीं लौटे। सुबह उन्हें पता चला कि मुंडीनाला में दो व्यक्तियों के शव पड़े हैं। वह मुंडीनाला गए और देखा कि एक शव उनके भाई का था और दूसरा मृतक अम्मू उदासी का था। वे सुरेश पटेल के होटल गए थे। सुरेश ने उनके सामने न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की। गुलाब भावलानी (अ.सा.-10), राजेश तिवारी (अ.सा.—7) और अन्य व्यक्ति भी वहां मौजूद थे।”

(21) धर्मेंद्र (अ.सा.—15) मृतक अम्मू का भाई है। उसने यह भी गवाही दी कि "अपीलकर्ता सुरेश ने उनके समक्ष न्यायिकेत्तर संस्वीकृति दी है कि मृतकों पर उसने, गुड्डा ठाकुर, शिवराम यादव और छोटू यादव ने हमला किया था और जब उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके शवों को मुंडीनाला में फेंक दिया गया ।"

(22) राजेश तिवारी (अ.सा.-7) ने मुख्य परीक्षण में ही यह बयान दिया कि पुलिस पार्टी उनके सामने अपीलकर्ता सुरेश कुमार द्वारा न्यायिकेत्तर संस्वीकृति किए जाने के 20-30 मिनट बाद बिरगहनी चौक पहुंची। मृतक व्यक्तियों की हत्या के बारे में जानकारी लक्ष्मीनारायण (अ.सा.-5) ने पुलिस को दी थी। लक्ष्मीनारायण वह गवाह है जिसे चक्षुदर्शी साक्षी ईश्वरी यादव (अ.सा.-9) ने घटना के बारे में बताया था। यद्यपि देहाती नालीसी (प्रदर्श-पी/46) में कई तथ्यों का उल्लेख किया गया है लेकिन अपीलकर्ता सुरेश कुमार द्वारा न्यायिकेत्तर संस्वीकृति किए जाने से संबंधित तथ्यों का उसमें उल्लेख नहीं है। यदि सुरेश कुमार ने घटनास्थल पर पुलिस के पहुंचने से पहले न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की होती, जैसा कि ऊपर के 4 गवाहों के साक्ष्य में आता है, तो पूरी संभावना है कि इस दस्तावेज में ऐसी संस्वीकृति के बारे में कुछ उल्लेख किया गया होता।

(23) गुलाब (अ.सा.-10) मृतक व्यक्तियों के मृत्युसमीक्षा प्रतिवेदन (प्रदर्श-पी/42 और पी/43) का भी गवाह है। उसने मृत्युसमीक्षा के समय यह उल्लेख नहीं किया कि अपीलकर्ता सुरेश ने उनके समक्ष न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की है, जबकि कथित संस्वीकृति पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले की गई थी। गणेश प्रसाद साहू (अ.सा.-11) भी मृत्युसमीक्षा (प्रदर्श-पी/43) का गवाह है और मृतक अनिल साहू का बड़ा भाई है। उसने भी मृत्युसमीक्षा के समय कथित न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के बारे में उल्लेख नहीं किया। यदि ये व्यक्ति, जिनमें से एक मृतक का करीबी रिश्तेदार था, घटना के बारे में जानते थे, तो उन्होंने उपरोक्त अवसरों पर पुलिस को इसका खुलासा क्यों नहीं किया और अपीलकर्ता सुरेश कुमार द्वारा न्यायिकेत्तर संस्वीकृति से संबंधित तथ्य पहली बार तब सामने आए जब उनके 161 बयान दिनांक 05.03.2002 को दर्ज किए गए थे। इससे न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के बारे में संदेह पैदा होता है कि अपीलकर्ता सुरेश कुमार ने इन गवाहों के समक्ष दिनांक 01.03.2002 को पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही संस्वीकृति दी थी, जैसा कि उन्होंने अपने न्यायालय साक्ष्य में दावा किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(24) अ.सा. -7, राजेश कुमार तिवारी को उनके पुलिस केस डायरी कथन (प्रदर्श-डी/1) में कई बिंदुओं पर सामना कराया गया है लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने अपने केस डायरी कथन में उल्लेख किया है कि सुरेश ने घटना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया लेकिन जब उन्होंने उस पर दबाव डालकर पूछा, तब उसने उपरोक्त घटना बताई। इस हिस्से को उनके केस डायरी कथन (प्रदर्श-डी/1) में 'अ से अ' के रूप में चिह्नित किया गया है, जिसे उन्होंने कोर्ट के समक्ष नहीं बताया। गुलाब (अ.सा.-10) की स्थिति भी ऐसी ही है, जिन्होंने अपने डायरी कथन (प्रदर्श-डी/2) में भी कहा कि पहले तो सुरेश ने घटना से इनकार किया लेकिन जब उन्होंने उस पर दबाव

डालकर पूछा, तो उसने रात की घटना के बारे में बताया। उनके डायरी कथन में इस हिस्से को भी 'अ से अ' के रूप में चिह्नित किया गया है धर्मेंद्र उदासी (अ.सा.-15) को उसके डायरी बयान (प्रदर्श-डी/3) के सामने भी रखा गया जिसमें उसने यह भी कहा कि सबसे पहले तो सुरेश ने उन्हें कुछ नहीं बताया लेकिन जब उन लोगों ने उस पर दबाव डाला, तभी उसने घटना का खुलासा किया। उसके ऐसे बयान के हिस्से को प्रदर्श-डी/3 में 'अ से अ' के रूप में भी चिह्नित किया गया है, जिसे उसने सत्र न्यायालय के समक्ष नहीं बताया था। इन गवाहों के साक्ष्य के विवेचन में, सबसे पहले यह संदिग्ध प्रतीत होता है कि वास्तव में, सुरेश ने उनके सामने दिनांक 01.03.2002 को सुबह लगभग 8-9.00 बजे न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की, जैसा कि इन गवाहों ने तर्क दिया है क्योंकि इस तरह की संस्वीकृति के बारे में कुछ भी *देहातीनालिसी* (प्रदर्श-पी/46) और मृत्युसमीक्षा प्रतिवेदन (प्रदर्श-पी/42 और पी/43) में नहीं आता है जो उनकी उपस्थिति में तैयार की गई थी और गुलाब (अ.सा.-10) और गणेश प्रसाद साहू (अ.सा.-11) मृत्युसमीक्षा प्रतिवेदन के गवाह थे। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि अपीलकर्ता सुरेश ने उनके समक्ष ऐसा बयान दिया था, वो इन गवाहों के 161 के बयानों के अनुसार, उस पर दबाव डालकर यह बयान लिया गया था, जिसे उन्होंने न्यायालय के समक्ष देने से मना कर दिया है। इससे पता चलता है कि यदि सुरेश ने इन गवाहों के समक्ष कुछ कहा भी था, तो वह स्वैच्छिक नहीं था और ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त गवाहों द्वारा उस पर उत्प्रेरणा से दबाव डालकर ऐसा किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(25) जहाँ तक अभियुक्त/अपीलकर्ता सुरेश कुमार द्वारा अन्य सह-अभियुक्तों के विरुद्ध कथित न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के साक्ष्य मूल्य का प्रश्न है, सह-अभियुक्त की संस्वीकृति साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित मूल "साक्ष्य" नहीं है, और इसे केवल अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध ही "विचार में लिया" जा सकता है। अतः, किसी अभियुक्त की दोषसिद्धि केवल सह-अभियुक्त की संस्वीकृति के आधार पर नहीं हो सकती, यदि अभिलेख में ऐसा कोई मूल साक्ष्य न हो जिस पर ऐसी दोषसिद्धि आधारित हो सके। **कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य,[एआईआर 1952 SC 159]** में , न्यायालय ने सह-अभियुक्त की संस्वीकृति के उपयोग के सिद्धांत निर्धारित किए हैं, और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसी संस्वीकृति का एकमात्र सीमित उपयोग यह है कि उसे उस विश्वास को आश्वासन देने के उद्देश्य से संदर्भित किया जाए जो ऐसे अन्य साक्ष्य से जुड़ा हो सकता है, यदि न्यायालय को उस बिंदु पर कोई हिचकिचाहट हो, और उस विश्वास को मजबूत करने के लिए।

(26) **नाथू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,[एआईआर 1956 SC 56]** में , यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि कोई पर्याप्त सारभूत सबूत नहीं है जिस पर दोषसिद्धि आधारित हो सकती है, तो सह-अभियुक्त की संस्वीकृति का कोई उपयोग नहीं हो सकता है, और इसे पूरी तरह से विचार से बाहर रखा जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी सबूत में विश्वास करने का आश्वासन देने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है यदि वह सबूत अपने आप में दोषसिद्धि का आधार बनने के लिए अपर्याप्त है।

(27) ऐसा प्रतीत होता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया यह एक सुसंगत दृष्टिकोण है। **मध्य प्रदेश राज्य द्वारा सीबीआई और अन्य बनाम पलटन मल्लाह और अन्य,[(2005) 3 एस.सी.सी. 169]**, में उसी प्रश्न पर विचार करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने कण्डिका 18 में निम्नलिखित अवधारित किया :-

"अभियुक्त के विरुद्ध साबित करने के लिए एक और अभियोगात्मक परिस्थिति नौवें अभियुक्त पलटन मल्लाह द्वारा कथित रूप से किया गया न्यायिकेत्तर संस्वीकृति है जिसमें उसने 'ए-1, ए-2, ए-5 और ए-6' का नाम लिया है। आरोप है कि उसने अ. सा.-105 सत्यप्रकाश निषाद के समक्ष संस्वीकृति की और ए-9 ने कथित रूप से (अ.सा.-105) को बताया कि इन अभियुक्तों ने उसे पैसे दिए थे और उसने पैसों की खातिर शंकर गुहा नियोगी की हत्या कर दी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के द्वारा, सह-अभियुक्त द्वारा किया गया न्यायिकेत्तर संस्वीकृति संपोषक साक्ष्य के रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है। इन अभियुक्तों के विरुद्ध किसी भी सारभूत सबूत के अभाव में, नौवें अभियुक्त द्वारा कथित रूप से किया गया न्यायिकेत्तर संस्वीकृति अपना महत्व खो देता है और इस तरह के न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के आधार पर कोई दोषसिद्धि नहीं हो सकती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(28) **बलदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य,[(2009) 6 एस.सी.सी. 564]**,
उच्चतम न्यायालय ने फिर अभिनिर्धारित किया कि न्यायिकेत्तर संस्वीकृति का साक्ष्य कमजोर साक्ष्य होने के कारण, अपने आप में एक सह-आरोपी के खिलाफ दोषसिद्धि का निर्णय प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि उसी की पुष्टि न की गई हो।

(29) इसलिए, साक्ष्य का उक्त अंश, भले ही विश्वसनीय माना जाता हो (हालांकि हमने इसे विश्वसनीय नहीं माना है) शेष अपीलकर्तागण के खिलाफ एक सारभूत साक्ष्य नहीं था और केवल उक्त साक्ष्य के आधार पर अन्य अपीलकर्तागण को दोषसिद्धि संभव नहीं था।

(30) विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री आशीष शुक्ला ने तर्क दिया कि खून से सनी वस्तुएं अपीलकर्तागण के बताये अनुसार उनके मेमोरेंडम बयानों के आधार पर जब्त की गई थीं, जो उन्हें प्रश्नगत अपराध से भी जोड़ते हैं। पहले, हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि रक्त के धब्बे केवल अपीलकर्तागण सुरेश पटेल और सहदेव यादव के कब्जे से जब्त किए गए पावा और हथौड़े पर पाए गए थे और अन्य अपीलकर्तागण के कब्जे से जब्त किए गए पावा और कपड़े जैसी किसी अन्य वस्तु पर रक्त के धब्बे नहीं पाए गए थे । नि:संदेह, रक्त के धब्बों की उत्पत्ति और समूह का पता नहीं लगाया जा सका है क्योंकि इस बारे में कोई प्रतिवेदन संलग्न नहीं की जा सकी। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, किसी अन्य निर्णायक, सारभूत और विश्वसनीय

साक्ष्य के अभाव में, यह अकेली परिस्थिति शायद ही मामले से सम्बंधित अभियोगात्मक साक्ष्य होगी।

(31) पूर्वगामी कारणों से, भारतीय दंड संहिता की उपरोक्त धाराओं के द्वारा अपीलकर्तागण को दी गई दोषसिद्धि और दण्डादेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और यह अपास्त किये जाने योग्य है।

(32) तदनुसार, अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलकर्तागण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश निरस्त किए जाते हैं। उन्हें उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यह उल्लेखित है कि अपीलकर्तागण सुरेश पटेल और सहदेव उर्फ छोटू दिनांक 03.03.2002 से जेल में हैं; अपीलकर्ता शिव राम बरेठ दिनांक 08.03.2002 से जेल में हैं; और अपीलकर्ता धर्मेंद्र उर्फ गुड्डा दिनांक 28.03.2002 से जेल में हैं। यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो, तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

सही/-
आर. एन. चंद्राकर
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By : ANKIT SHRIVAS

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur